।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सौठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत शाहपुर

राजस्व अपील सं० 5/02/2021 तारीख रज्जू 21.01.2021

01– लता जाजु पुत्री मोहनलाल पत्नि रतनलाल जाजु जाति जाटव निवासी रूंध शाहपुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी भगवती नगर द्वितीय, करतारपुरा, जयपुर –अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत शाहपुर पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर जरिये सरपंच –असल रेस्पोडेण्ट

02– शांति

03– कल्ली

04– कमला पुत्रीयान मोहनलाल

05– रामवती पत्नी गिर्राज प्रसाद

06– अजीत कुमार,

07– नेमीचन्द पुत्रान गिर्राज प्रसाद

08– मंजू

09– लक्ष्मी

10– अंजू

11– रेणू पुत्रीयान गिर्राज प्रसाद
निवासीयान रूंध शाहपुर तहसील व जिला अलवर।
जातियान मेव निवासीयान ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर
–तरतीबी रेस्पोडेण्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 06.02.2009 ग्राम पंचायत शाहपुर

–: निर्णय :– दिनांक: 18.12.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील व जिला अलवर के निर्णय दिनांक 06.02.2009 इंतकाल संख्या 119 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाण्ट की आराजी नया खाता संख्या 20 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के आराजी खसरा नम्बरान 451, रकबा 0.03 है० गैर मु० चाह,452 रकबा 0.30 है०, 469 रकबा 0.40 है०, 470 रकबा 0.80 है०, 471 रकबा 0.80 है० 471/483 रकबा 0.70 है० कुल किता 6 रकबा 1.95 है० वाके

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

ग्राम व्हाई शाहपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिसकी जमाबन्दी के क्रम संख्या 8 पर कृष्णा पुत्री मोहन लाल हिस्सा 1/10 अंकित खातेदार अंकित किया हुआ है। अपीलार्थी के पिता मोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरासत इन्तकाल संख्या 119 स्वीकृत हुआ। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी रेस्पोंडेन्टस मृतक मोहन लाल के विधिक वारिसान है। विरासत इन्तकाल संख्या 119 में राजस्व कर्मचारियान द्वारा सहवन से अपीलार्थी का नाम कृष्णा अंकित दर्ज कर दिया गया। विवादित आदेश दिनांक 06.02.2009 की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी, अवलोकन करने पर उक्त त्रुटि के बारे में जानकारी हुई तो प्रार्थीनी ने जिसकी नकल दिनांक 30.12.2020 को प्राप्त की एवं कानूनी सलाह अधिवक्ता से ली। अपील के साथ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थीनी को इन्तकाल दर्ज करते समय सुना नहीं गया था ना ही मौके पर बुलाया गया। विवादित इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व मृतक मोहनलाल के वारिसान के नाम बाबत कोई जांच नहीं की गई। न्यायालय का विवादित आदेश मनमाना व कमजोरिया तौर पर पारित किया गया है विवादित आदेश खारिजे अपास्त करवाते हुए समाचित आदेश जारी करने बाबत निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प शाहपुर में सरपंच, ग्राम पंचायत शाहपुर को अपील की नकल दी गई एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी को सुना।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रति इन्तकाल संख्या 119 एवं जमाबन्दी सम्वत 2068-2071 तथा लाभार्थी के आधार कार्ड संख्या 545179188206, पेनकार्ड संख्या एईईपीके2937बी जनआधार कार्ड संख्या 5044064113 की फोटोप्रति पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत शाहपुर के निर्णय दिनांक 06.02.2009 अपास्त किया जाता है। नायब तहसीलदार बहादरपुर को उक्त इन्तकाल प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की जांच कर एवं

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज.)

अधीक्षणपत्र के न्याय की जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत शाहपुर में बजरिये खुला सुनाया गया। पत्रावली मियाद मुताबिक होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोलंकी)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

नोटः–

निर्णय दिनांक 18.12.2021 में रेस्पोंडेन्ट संख्या–11 रामू पुत्रियान गिर्राज प्रसाद में "जातियान मेव निवासीयान ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर" डिलीट किया जाता है एवं निर्णय के पृष्ठ संख्या–2 पर नीचे से दूसरी लाईन में "नायब तहसीलदार बहादरपुर" के स्थान पर "तहसीलदार अलवर" पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)